झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

2रा तल्ला, राजेन्द्र जवान भवन–सह–सैनिक बाजार, मेन रोड, रॉंची – 834001.

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड ने वर्ष 2013–14(6 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014) से वर्ष 2015–16 तक का True-up तथा वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 तक का Business Plan एवं MYT के लिए आवेदन देते हुए विद्युत उत्पादन दर निर्धारण करने हेतु आयोग से अनुरोध किया है । आवेदन की एक प्रति झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड ने अपने वेबसाईट (www.juvnl.org.in domain link http://juvnl.org.in/j_generation.php) पर जारी किया था तथा इसकी सूचना दिनांक 18, 19 एवं 20 अप्रैल 2018 के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए दिनांक 10/05/2018 तक आपत्ति /सुझाव/मंतव्य मांगा था । झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त आवेदन पर उन्हें कोई भी आपत्ति/सुझाव/मंतव्य प्राप्त नहीं हुआ । इस आवेदन की एक प्रति झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के वेबसाईट (www.jserc.org/juunl2018.aspx) पर भी उपलब्ध है ।

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत उत्पादन दर निर्धारण करने के पूर्व उक्त आवेदन पर झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, रॉंची के द्वार जन–सुनवाई दिनांक **08/06/2018 (शुक्रवार)** को **12:00 बजे दोपहर** से **श्रम कल्याण केन्द्र, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, बैंक ऑफ इण्डिया के नजदीक, सिकिदिरी, रॉंची** में होना सुनिश्चित किया गया है ।

अतः सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता समूह एवं विज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जन–सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव, आपत्तियाँ एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आदेशानुसार

सचिव